



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

EG 541358

Consortium MoU

THIS CONSORTIUM MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (hereinafter referred to as the 'MoU') is made and entered into this 9th day of the month of October, 2018 by and among:

1. Aradhyam Builders Partnership Firm registered under the Partnership Act 1932 through Partner Ritesh Jain having their principal place of business at "C/o Mange Ram Bhatta Company, Khasra No. 988 & 989, NH 58, Meerut Road, Opposite Jain Tube Company, Tehsil & District Ghaziabad (Uttar Pradesh) which expression shall unless repugnant to the context thereof include his Successors, of the ONE PART;
2. Vijay Kumar S/o Mange Ram R/o R-2/177 Raj Nagar Ghaziabad Uttar Pradesh - 201002 owner of various Khasra Nos which expression shall unless repugnant to the context thereof include his Successors, of the SECOND PART;



- 9 OCT 2018

०८ स० १८

स्टाम्प क्रेय कारने ला प्रयोजन
स्टाम्प क्रेता की नाम व पूरा पतास्टाम्प की धनराशि 100/-
पक्का शर्मा स्टाम्प विक्रेता, लाइसेन्स नं 355
लाइसेन्स की अवधि 31-3-2019
नहराल कम्पाउण्ड गांधीगांव

आयदायन लिंक, भोर टोडगांव डॉ नेहरा

ज्ञात

अनुबंध विलेख/घोषणा दस्त


० लिफ्ट - ० स्टाम्प शुल्क - 100 बाजारी मूल्य - ० पंजीकरण शुल्क - 100 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 100 योग - 200

नी रसाईयम विलिंग द्वारा

रातेश जैन अधिकृत पदाधिकारी/प्रतिनिधि

पा. श्री न चेन्ट्र लैन

गांधीगांव गांधी

नी रसाईयम अधिकृत पदाधिकारी/प्रतिनिधि
रातेश जैन अधिकृत पदाधिकारी/प्रतिनिधि
रातेश जैन अधिकृत पदाधिकारी/प्रतिनिधि

नी रसाईयम विलिंग द्वारा

रातेश जैन अधिकृत

पदाधिकारी/प्रतिनिधि

० या लोगपत्र इस कार्यालय में दिनांक 10/10/2018

० १०:०० AM PM बजे

लाभार्थी हेतु पेश किया।



रजिस्ट्रीकरण ग्रामीण के हस्ताक्षर

श्रीमान विजयमान राजा

उप नियमित सदर द्वितीय

शातियाबाद

16.10.2018

विभिन्न विधिक

कानूनी सहायक (निबंधन) - नियमित

3. **Sudhan Kumar** S/o Mange Ram R-9/202 Sector-9 Raj Nagar Ghaziabad Uttar Pradesh - 201002 Owner of various Khasras Nos which expression shall unless repugnant to the context thereof include his Successors, of the THIRD PART;
4. **Vijay Kumar** S/o Mange Ram R-2/177 Raj Nagar Ghaziabad Uttar Pradesh – 201002 holder of Power of attorney of Ramnaresh Rawat which expression shall unless repugnant to the context thereof include his Successors, of the Fourth PART;
5. **Vijay Kumar** S/o Mange Ram R-2/177 Raj Nagar Ghaziabad Uttar Pradesh – 201002 holder of Power of attorney of Pushpendra Rawat which expression shall unless repugnant to the context thereof include his Successors, of the Fifth PART;
6. **Sudhan Kumar** S/o Mange Ram R-9/202 Sector-9 Raj Nagar Ghaziabad Uttar Pradesh - 201002 Trustee of The Trinity Education Trust which expression shall unless repugnant to the context thereof include his Successors, of the SIXTH PART;

All the above parties for the purpose of this MoU hereinafter individually called the 'Member' and collectively called the 'Members.'

NOW, THEREFORE, this MoU witnesses as follows:-

In consideration of the mutual covenants of the Members, the sufficiency whereof are hereby acknowledged and other good valuable considerations, the Members have agreed as follows:

 Sudhan Kumar

 Vijay Kumar



निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि र प्रलेखानुसार उक्त
प्रथम पक्ष: ।

श्री अराध्यम बिल्डिंस के द्वारा रितेश जैन, पुत्र श्री राजेन्द्र
जैन

निवासी: केयर ऑफ मांगे राम भट्टा कम्पनी खसरा नम्बर
988 व 989, एन एच 58, मेरठ रोड, गाजियाबाद
व्यवसाय: अन्य 

प्रथम पक्ष: 2



श्री विजय कुमार, पुत्र श्री मांगे राम

निवासी: आर-२/१७७, राजनगर, गाजियाबाद

व्यवसाय: अन्य

प्रथम पक्ष: 3



श्री सुधन कुमार, पुत्र श्री मांगे राम

निवासी: आर-१०२, सेक्टर १०, राजनगर, गाजियाबाद

व्यवसाय: अन्य

प्रथम पक्ष: 4



श्री राम नरेश रावत के द्वारा विजय कुमार, पुत्र श्री मांगे राम

निवासी: आर-२/१७७ राजनगर, गाजियाबाद

व्यवसाय: अन्य

प्रथम पक्ष: 5



श्री पुष्पेन्द्र रावत के द्वारा विजय कुमार, पुत्र श्री मांगे राम

निवासी: आर-२/१७७, राजनगर, गाजियाबाद

व्यवसाय: अन्य




1. Definitions and interpretations

1.1 Definitions Capitalized terms used in this MoU shall have their respective defined meanings, and/or shall have the meanings specified in the Policy issued vide G.O. No 10/2017/2130/8-1-17-36 vivid/2017 dated 25/10/2017 and subsequently executed Development Agreement between the Applicant and the Authority unless the context expressly or by necessary implication otherwise requires.

- (a) 'Applicant' means the Consortium Applicant;
- (b) 'Authority' means the Uttar Pradesh Housing and Development Board or the Development Authority or the Special Area Development Authority or the Controlling Authority or any other authority designated by the Government of Uttar Pradesh, as the case may be;
- (c) 'Company' means a company formed and registered under the Companies Act, 1956/2013;
- (d) 'Consortium' means the Consortium formed between the Members in accordance with this MoU;
- (e) "Government Agency" means Development Authority constituted under Uttar Pradesh Urban Planning and Development Act, 1973 or Uttar Pradesh Housing & Development Board constituted under Uttar Pradesh Housing and Development Board Act, 1965 or Controlling Authority constituted under Uttar Pradesh (Regulation Of Building Operations) Act, 1958 or Special Area Development Authority constituted under Uttar Pradesh Special Area Development Authorities Act, 1986.

----- ----- -----



प्रथम पक्षः ६

श्री टिरिन्टी एजूकेशन ट्रस्ट के द्वारा सुधन कुमार, पुत्र श्री
मांगेराम

निवासी: आर-९/२०२, सेक्टर-९, राजनगर, गाजियाबाद

व्यवसाय भव्य



के विषयाद्वय स्थीकार किया। विकारी पात्र-

पद्मालकर्ता ।

श्री दीपक कमार, पञ्च श्री बहुमपाल

नियासी तहसील कम्पाकड़ गांवियावार

દ્વારા મારા મન

पहचानकर्ता : 2

—



रजिस्ट्रीकरण मण्डली के द्वारा द्वारा

ने की। प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए हैं।

दिल्ली

शर्मा नविनकुमार एस०
उप निबंधक सदर दृष्टियां
गाजियाबाद
विनोद कुमार लिपिक
कंगिष्ठ रुद्रायक (निबंधन) -
लिपिन

- (f) 'Lead Member' means the member of the Consortium who holds minimum 26% equity in the Consortium.
- (g) 'Members' means the individuals, Company or firms which have agreed to form a Consortium in connection with the Project;
- (h) 'MoU' (Memorandum of Understanding) means a legal document describing the terms and details of an agreement between two or more parties, including each party's role and responsibilities.
- (i) 'Net worth' means as defined under section-2 of (29-A) of the Companies Act, 1956/2013;
- (j) 'Private Developer' means an individual, legal person, consortium, registered trust, registered society, cooperative housing society, company or association, body of individuals whether incorporated or not, owning or assembling or agreeing to own or assemble, whether by purchase or otherwise, land for development.
- (k) 'Scheme' means the proposed housing scheme.

1.2 Interpretation

- (a) For the purpose of this MoU, where the context so requires, the singular shall be deemed to include the plural and vice-versa and masculine gender shall be deemed to include the feminine gender and vice-versa.
- (b) References to a 'person' if any shall, where the context so admits, include references to natural persons, partnership firms, companies, bodies corporate and associations, whether incorporated or not or any other organization or entity including any governmental or political subdivision, ministry, department or agency thereof.

→ intd... → ujanuw. 



(c) The headings and sub-headings are inserted for convenience only and shall not affect the construction and interpretation of this MoU.

(d) References to the word 'include' and 'including' shall be construed without limitation.

(e) Any reference to 'day' shall mean a reference to a calendar day.

2. Purpose of Consortium MoU

2.1 The purpose of this MoU is to specify the responsibilities of the Members towards the execution of the Scheme including land assembly, preparation of Detailed Project Report, securing of clearances, execution of development and construction works, maintenance of services and management and disposal of properties and to set out further rights and obligations of the Members supplementing but not conflicting with those present in this MoU.

3. Duration

3.1 This MoU shall come into force and effect on as of the date of signing of this MoU by the Members. Unless otherwise terminated earlier, this MoU shall remain effective until the complete discharge of all obligations by the Members concerning the completion of the Scheme.

initials — 11/Jan/2014. Suresh




4. Coordinator

4.1 The Members hereby understand and agree that there shall be a 'Lead Member' who shall be the point of contact for the purpose of the Scheme. It is hereby agreed by the Members that for the purpose of the MoU Aradhyam Builders has been appointed as Lead Member. The Lead Member shall be specifically authorized by the Members to make representations and declarations on their behalf. However, every Member of the Consortium shall be individually responsible for discharging his obligation as specified in Schedule-1 and jointly and severally liable for the successful completion of the entire Scheme.

4.2 For the purpose of this MoU, the Lead Member shall be the single point of contact for the Authority and shall have the overall responsibility of the management of the Scheme and shall have single point responsibility for ensuring that all Members of the Consortium are complying with the terms and conditions set out in this MoU.

4.3 All instructions/communications from the Authority to the Lead Member shall be deemed to have been duly provided to all the Members of the Consortium.

4.4 For the avoidance of doubt it is hereby clarified that the all Members of the Consortium shall be held individually responsible for the obligations mentioned in Schedule-1 regarding their specific roles and responsibilities undertaken by them under this MoU.



5. Rights and obligations

- 5.1 For delivery of all Services as per provisions of the Development Agreement to be executed subsequently between the Applicant and the Authority; the Lead Member shall be primarily accountable and responsible.
- 5.2 The Lead Member shall be responsible for the transmission of any documents and information connected with the Scheme to the Members concerned.
- 5.3 The representations and declarations made by the Lead Member shall be legally binding on all the Members of this MoU.
- 5.4 Each Member shall use reasonable efforts to perform and fulfil, promptly, actively and on time, all of its obligations under this MoU.
- 5.5 For the purpose of this MOU Aradhyam Builders, the lead member shall have the 50% of equity in the consortium.

6. Responsibilities towards each other

6.1 (a) Each Member undertake:

- (i) To promptly notify each of the Members about any significant delay in fulfilment of milestones in relation to the Scheme; and
- (ii) To inform other Members of relevant communications it receives from third parties in relation to the Scheme.

(b) Each Member shall act in good faith and use reasonable efforts to ensure time bound compliance of their obligations under this MoU and promptly act to correct any error therein as soon as it came into the knowledge.

S. Sankar... - i j com. S. P.



(c) Each Member shall keep confidential all information of confidential nature, whether written or oral, concerning to this MoU and also abide by the terms and condition of the Development Agreement to be executed subsequently between the Applicant and the Authority.

(d) Each Member shall share with and disclose information to other Members including confidential information and documents as may be necessary for the Scheme. The Members hereby understand and agree that the information shall be used solely for the purpose of the Scheme and not for its own use or for any third party benefit.

7. Liabilities

7.1 Liability towards each other: The Members hereby understand and agree that each Member shall be individually liable for any default with regard to the deliverables of his part under the terms and conditions of this MoU.

7.2 Indemnification of a Member for each other: Each Member shall indemnify each of the other Members, in respect of liability resulting from acts or omissions of itself.

7.3 Liability towards Third Parties: Subject always to such other undertakings and warranties as are provided for in this MoU, each Member shall be solely liable for any loss, damage or injury to third parties resulting from its carrying out its parts of the Scheme and from its use of knowledge and/or knowhow.

8. Representation and warranties

8.1 The Members hereby represent and warrant that:

(a) They are duly organized and validly existing under the prevailing laws of India and have full Power and authority to enter into this MoU and to perform their obligations under this MoU.

(b) This MoU constitutes a valid and binding obligation of the Members, enforceable against them in accordance with the terms hereof, and the execution, delivery and performance of this MoU and all instruments or agreements required hereunder do not contravene, violate or constitute a default of or require any consent or notice under

int'l. - rajendra. Gurha



any provision of any agreement or other instrument to which the Member is a party and by which the Members are or may be bound.

(c) Each of the representations and warranties shall be construed as a separate representation, warranty, covenant or undertaking, as the case may be, and shall not be limited by the terms of any other representation or warranty or by any other term of this MoU.

(d) The Members have read, understood and agreed with the terms and conditions of this MoU.

9. Notices

9.1 Notices, demands or other communication required or permitted to be given or made under this MoU shall be in writing in Hindi or English language. Delivery can be made by hand or facsimile message against a written confirmation of receipt or by registered letter or by courier subsequently confirmed by letter.

9.2 Any such notice, demand or communication shall, unless the contrary is proved, be deemed to have been duly served at the time of delivery in the case of service by delivery in person or by registered post or courier at the given address.

10. Arbitration

10.1 Any and all disputes or differences between the Members arising out of or in connection with this MoU or its performance shall, so far as it is possible, be settled amicably through consultation between the Members.

10.2 Any dispute arising in connection with this MoU which cannot be resolved by the Members in accordance with the terms of this MoU shall be settled by arbitration in accordance with Arbitration and Conciliation Act, 1996. The Members agree to comply with the awards resulting from arbitration. The place of arbitration shall be Ghaziabad.

11. Force Majeure

None of the members shall be held in default in the performance of the obligation, under this MoU, in the events of force majeure which without any limitation include war, civil commotion, riots, Act of God,

21st Jan 2022. *SCB*



Government Action. In the event of force majeure, the members of the Consortium MoU undertake to consult each other.

12. Termination of Consortium

MoU This Consortium MoU may be terminated upon the arrival of the first of following events:-

- 12.1 Upon exit from the Scheme subject to terms and conditions of the scheme.
- 12.2 Upon completion of the Scheme.

13. Miscellaneous


- 13.1 This MoU supersedes all prior discussions and agreements (whether oral or written, including all correspondence) if any, between the Members with respect to the subject matter of this MoU. In the event of any conflict between the terms of this MoU and the Development Agreement to be executed subsequently between the Applicant and the Authority, the terms of Development Agreement shall prevail.
- 13.2 Any provision of this MoU, which is invalid or unenforceable, shall be ineffective to the extent of such invalidity or unenforceability, without affecting in any way the remaining provisions hereof.
- 13.3 This MoU shall be governed and interpreted by, and construed in accordance with the laws of India, without giving effect to the principles of conflict of laws there under.
- 13.4 The Schedule-1 shall have the same force and effect as if expressly set in the body of this MoU and any reference to this MoU shall include the Schedule-1.




- 13.5 Any Member including the Lead Member of the Consortium may be changed with the prior approval of Government Agency subject to fulfilment of minimum financial and technical capability of the Consortium.
- 13.6 In case of any change in the members of the Consortium, an amended Consortium MoU shall be submitted by the Lead Member to Government Agency.
- 13.7 Any variation or modification to the terms of this MoU as may be mutually agreed by the members can only be made with prior approval of Government Agency.

IN WITNESS WHEREOF, the Members have entered into this MoU on the day, month and year first mentioned above.


1.

Signature..... 
For Aradhyam Builders
Ritesh Jain
Partner

2. Vijay Kumar

Signature..... 

3. Sudhan Kumar

Signature..... 

4. Vijay Kumar holder of Power of attorney of RamaNaresh Rawat

Signature.....  



5. Vijay Kumar holder of Power of attorney of Pushpendra Rawat

Signature.....*Vijay Kumar*

6. Sudhan Kumar Trustee of Trinity Education Trust

Signature.....*Sudhan*

For and on behalf of Lead Member:

Name: Ritesh Jain.....*Ritesh*

Designation: Partner

Aradhyam Builders

Date:09/10/2018

WITNESSES: 1. Signature.....

Name.....*Deepak Kumar & Brahm Pal*

Address.....*Talwai Compound - G. Bad.*

2. Signature.....

Name.....*Swil Kumar & Brahm Singh*

Address.....*Vill - Duhai - G. Bad.*

Drafted by :






SCHEDULE - 1

Roles and Responsibilities of Each Individual Member of the Consortium
(Describe the Roles and Responsibilities of each individual Member of the Consortium)

Sl.No.	Type of Member	Average Annual Net worth (Rs. Crore)	Roles and Responsibilities
1	2	3	4
1.	Lead Member Name: Aradhyam Builders Address: "C/oMange Ram Bhatta Company, Khasra No.988& 989, NH 58, Meerut Road, Opposite Jain Tube Company, Tehsil & District Ghaziabad (Uttar Pradesh). Phone No: 9999537800		Overall responsibility including planning, obtaining all clearances, approvals, selling, collecting all sales proceeds, construction & overall administration of project. For the purpose of this MOU Aradhyam Builders the lead member shall have the 50% of equity in the consortium.
2.	Member-1 Vijay Kumar R/O R-2/177 Raj Nagar Ghaziabad Uttar Pradesh - 201002 Phone No: 9711410000	8.06	Technical and financial consultancy
3.	Member-2 . Sudhan Kumar Address: Phone No: 9818488999		Monitoring of Group Housing
4.	Member-3.		Monitoring of Group





	Vijay Kumar holder of Power of attorney of Ramnaresh Rawat Address :R-2/177 Raj Nagar Ghaziabad Uttar Pradesh - 201002 Phone No 9711410000		Housing
5.	Member-4. Vijay Kumar holder of Power of attorney of Chaudhary Mange Ram Address:R-2/177 Raj Nagar Ghaziabad Uttar Pradesh - 201002 Phone No: 9711410000		Monitoring of Group Housing
6	Member-5. Sudhan Kumar Trustee of Trinity Education Trust Address:	8.06	Monitoring of Group Housing

Sudhan Kumar *Yogi Rawat*



Signature.....

For Aradhyam Builders
Ritesh Jain
Partner

1. Vijay Kumar
Signature.....
2. Sudhan Kumar
Signature.....
3. Vijay Kumar holder of Power of attorney of Ramanresh Rawat
Signature.....
4. Vijay Kumar holder of Power of attorney of ~~Ramanresh Rawat~~
Signature.....
5. Sudhan Kumar Trustee of Trinity Education Trust
Signature.....

Date 09/10/2018


पर्वी शंकर ५ जिल्द संख्या ५९४ के पृष्ठ ३९३ से ४३२ तक क्रमाक्रम से वर्तने वाले दिनांक १०/१०/२०१८ को रजिस्ट्रीकृत किया गया।



रजिस्ट्रीकरण आधिकारी के हस्ताक्षर

नवीन

शमी नवीन कुमार एस०
३५ निबंधक, सदर दवितीय
गाजियाबाद
१०/१०/२०१८



6374

Name MANISH KUMAR
Designation Ex. E.
Signature
Stock Holding Corporation of India Ltd.
1103, Model Town East, Ghaziabad


INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

Locked

Certificate No. : IN-UP04962160831980Q
Certificate Issued Date : 23-Aug-2018 03:51 PM
Account Reference : SHCIL (FI)/upshcil01/ GHAZIABAD/ UP-GZB
Unique Doc. Reference : SUBIN-UPUPSHCIL0105938813372761Q
Purchased by : VIJAY KUMAR
Description of Document : Article 33 Gift
Property Description : LAND IN PART OF KHASRA NO-493 VILLAGE PASONDA GZB
Consideration Price (Rs.) :
First Party : PUSHPENDRA RAWAT
Second Party : VIJAY KUMAR
Stamp Duty Paid By : VIJAY KUMAR
Stamp Duty Amount(Rs.) : 4,19,100
(Four Lakh Ninteen Thousand One Hundred only)



VERIFIED BY
Sub-Registrar
Ghaziabad
SUB-REGISTERED BY
Sub-Registrar
Ghaziabad

Please write or type below this line.....

TQ

0001474366



Warning

"The contents of this certificate can be verified and authenticated world-wide by any members of the public at www.shcilestamp.com or at any Authorised collection center address displayed at www.shcilestamp.com free of cost."

"Any alteration to this certificate renders it invalid. Use of an altered certificate without all the security features could constitute a criminal offence"

"This document contains security features like coloured background with Lacey Geometric Flexible patterns and ~~Subtle~~ Logo images, Complex ornamental design borders, Anti - copy text, the appearance of micro printing, artificial watermarks and other Overt and Covert features."





CHIEF TREASURY OFFICE
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CU 077913

(2)

दानपत्र/उपहार विलेख का संक्षिप्त विवरण

1. भूमि का प्रकार : आवासीय
2. वार्ड परगना : 0328
3. मौहल्ला/ग्राम : ग्राम पसौर्णडा
4. सम्पत्ति का विवरण(सम्पत्ति नं) : आवासीय खाली भूमि, सम्बन्धित खसरा नम्बर 493 (पार्ट), स्थित ग्राम पसौर्णडा परगना लोनी तहसील व जिला गाजियाबाद।

क्रम संख्या 91 विक्रय का तार्थ 23 AUG 2018
 विक्रय करने का प्रयोजन विक्रय करने की गोदी नं ०.
 विक्रय करने का नाम व पूरा पता विक्रय करने की गोदी नं ०.
 विक्रय की दरकारी दर १५५/-



सुभित बंसल स्टाम्प विक्रेता
 लाइसेंस नंबर 351

लाइसेंस की अवधि 31 अर्ध
 प्रतिफल का शुल्क 6843000 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 20000 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 80 योग : 20080

दान पत्र

प्रतिफल- 0 स्टाम्प शुल्क- 479100 बाजारी मूल्य - 6843000 पंजीकरण शुल्क - 20000 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 80 योग : 20080

श्री विजय कुमार ,
 पुत्र श्री मांगेराम
 व्यवसाय: अन्य १११८८५
 निवासी: २/१७७ राजनगर गाजियाबाद



ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 23/08/2018 एवं 04:44:25 PM वजे
 निवंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

सुरेश संद्र मय
 उप निवंधक: सदर तृतीय
 गाजियाबाद
 23/08/2018

गाजियाबाद सदर तृतीय लिपिक
 कलिष्ठ सहायक (निवंधन) - नियमित





CHIEF TREASURY OFFICER
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CU 077914

(3)

5. मापन की इकाई (हैक्टेयर/वर्गमीटर): वर्ग मीटर
6. सम्पत्ति का क्षेत्रफल : क्षेत्रफल 402.5 वर्ग मीटर
7. सड़क की स्थिति (परिशिष्ट के अनुसार): सड़क 12 मीटर चौड़ी
8. प्रतिफल की धनराशि:- शून्य

R. S. S.
1/10/1980

8/23/2018

पुष्टि विलेख 58.59

23 AUG 2018

लाइसेंस 921011 निष्पादन का नाम
सुमित बंसल उत्कृष्ट व्यापारी
देशपाल कुमार नाथ व पुरा वाला
हास्य की यात्रा ११२२

निष्पादन लैखपत्र वैदि सुन्दर के समझने सजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार

सुमित बंसल उत्कृष्ट व्यापारी

लाइसेंस नम्बर ३५१८१

जाइरोल की अवधि ३१ अर्ध


प्राप्त धनराशि रावत, पुत्र श्री मांगेराम

निवासी: २/८१ राजनगर गाजियाबाद

व्यवसाय: अन्य

दान गृहीता: १






श्री विजय कुमार, पुत्र श्री मांगेराम

निवासी: २/१७७ राजनगर गाजियाबाद

व्यवसाय: अन्य





ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान

पहचानकर्ता: १

श्री राजेंद्र प्रसाद तिवारी, पुत्र श्री टी.एस. तिवारी

निवासी: २ जनता कोलोनी गाजियाबाद

व्यवसाय: अन्य

पहचानकर्ता: २





श्री ओमपाल, पुत्र श्री चम्पत सिंह

निवासी: ६ गाँधी नगर गाजियाबाद

व्यवसाय: अन्य



ने की। प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के लिशान अंशूठे
नियमानुसार लिए गए हैं।

टिप्पणी: गा.वि.प्रा. के पत्र संख्या ३१६/४/सी.ई २०१८
दिनांक ०८.०८.२०१८ पर ए आई जी पृष्ठांकित आदेश
संख्या ६३५ दिनांक १०.०८.२०१८ के क्रम में पक्षकारों
को अवगत कराया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

सुरेश चन्द्र सिंह

उप निबंधक सदर तृतीय

गाजियाबाद

गाजियाबाद सदर तृतीय लिपिक
कनिष्ठ सहायक (निबंधन) - नियमित





CHIEF TREASURY OFFICER
UP / CHIEF TREASURY OFFICER
CHIEF TREASURY OFFICER
CHIEF TREASURY OFFICER

CU 077915

(4)

सीमा खसरा नम्बर 493 (पार्ट)

पूरब — सड़क 12 मीटर चौड़ी

पश्चिम — खसरा नम्बर 462 (पार्ट)

उत्तर — खसरा नम्बर 494 (पार्ट)

दक्षिण — खसरा नम्बर 493 (पार्ट)

11/10/2010

W.M.

23 AUG 2018

क्रम संख्या ९३११। विक्रय का लाइसेंस
स्टाम्प करने का प्रयोजन
स्टाम्प केता का नाम व पूरा पता ७४५५
लाइसेंस की अनुमति ४२४४।



सुनित बंसल स्टाम्प विक्रेता

लाइसेंस नंबर 351

लाइसेंस की अवधि 31 मार्च
प्राप्ति उपायाधीश लाइसेंस बाजार





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(5)

CU 082055

दानकर्ता का विवरण:-

श्री पुष्पेन्द्र रावत पुत्र श्री मॉगेराम निवासी 2/81, राजनगर, गाजियाबाद
(PAN. AGEPR9312A)

दानग्रहिता का विवरण:-

श्री विजय कुमार पुत्र श्री मॉगेराम निवासी 2/177, राजनगर, गाजियाबाद
(PAN. AAZPK0075G)

11/04/2018



१५ सर्क ४२

27 AUG 2018

स्टाम्प करने का प्रयोजन

स्टाम्प केता का नाम & पूरा नाम

स्टाम्प नाम व नाम से नाम

स्टाम्प की धनराशि

Rohit Kumar
रोहित कुमार स्टाम्प विक्रेता
स्टाइरेंस नम्बर 295
नाइनी ली अवधि 31 दिन
शेखा नम्बर 10, नाइनी अवधि, नाइनी





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(6)

CU 082056

गिफ्ट डीड की मालियत 68,43,000/-

स्टाम्प ड्यूटी उत्तर प्रदेश सरकार संस्थागत वित्त कर एवं निबंधन अनुभाग-5, अधिसूचना संख्या—5-2756/11-2008-500 (165)/2007 दिनांक 30-06-2008 ई० के अनुसार अदा किया जा रहा है।

स्टाम्प अंकन 4,79,100/- रुपये

R. C. G.

संग्रह 86122

23 AUG 2018

स्वास्थ्य कार्य कर्त्तवे का प्रशंसन

स्वास्थ्य कर्त्ता का नाम ये पूरा एवं *रोहताश कुमार स्टाम्प विक्रेता*

स्वास्थ्य की धनराशि 500/-

Rohatash Kumar
रोहताश कुमार स्टाम्प विक्रेता
स्टाइरोट्रेस नम्बर 295
साईंसेंस की अवधि 31 पासे
नम्बर नं 10, गहलोत बाजार, गोपनीय





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(7)

CU 082057

गिफ्ट की जाने वाली सम्पत्ति का विवरण— आवासीय खाली भूमि, क्षेत्रफल 402.5 वर्ग मीटर, स्थित ग्राम पसौण्डा परगना लोनी तहसील व जिला गाजियाबाद। कलैकटर द्वारा भूमि की निर्धारित दर 17,000/- रुपये प्रति वर्ग मीटर है। उपरोक्त भवन मुख्य मार्ग/राष्ट्रीय राजमार्ग के मध्य बिन्दु से 200 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है।

11/2018

R

23 AUG 2018

एप संख्या १०/१०

रटाम्प कार्य करने वाला ग्राम्यजन

रटाम्प ग्राम का नाम व पूरा पता लिखिएगा

रटाम्प की घनराशि


Rohitbkhana

रोहताशा कुमार रटाम्प विक्रेता

लाइसेंस नं. नम्बर 295

लाइसेंस ली नम्बर ३१ ग्राम

घटना नं. २०, लहरीन ग्रामान्दि, उत्तर प्रदेश





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CU 081871

(8)

सीमा खसरा नम्बर 493 (पार्ट)

पूरब - सड़क 12 मीटर चौड़ी

पश्चिम - खसरा नम्बर 462 (पार्ट)

उत्तर - खसरा नम्बर 494 (पार्ट)

दक्षिण - खसरा नम्बर 493 (पार्ट)

११/८१८७१

R

23 AUG 2018

समीक्षा 21
स्थान का कार्य का प्रयोग
स्थान का नाम व पूरा पता
स्थान की घटनाको

गोपनीय
गोपनीय
गोपनीय

एककुमार गुप्ता स्थान विक्रेता
लाइसेंस नंबर 11
लाइसेंस की अवधि 32 वर्ष
फोर बॉल नेशनल कम्पाउन्ड, नालंदा





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CU 081872

(9)

हम कि श्री पुष्टेन्द्र रावत पुत्र श्री मॉगेराम निवासी 2/81, राजनगर, गाजियाबाद प्रथम पक्ष गिफ्ट/दानकर्ता।

इस दान पत्र में गिफ्ट/दानकर्ता के समस्त उत्तराधिकारी एवं वैधानिक व न्यायाधिक प्रतिनिधिगण सम्मिलित समझे जावेंगे।

श्री विजय कुमार पुत्र श्री मॉगेराम निवासी 2/177, राजनगर, गाजियाबाद द्वितीय पक्ष गिफ्ट/दानगृहिता।


11/06/2011

22/21

23 AUG 2018

स्वाच्छ काम करने का इशारा
स्वाच्छ लैंग वा नाम वा पूरा नाम
स्वाच्छ की वर्तमान

Ram

राजस्थान युवा स्टाप विवेता

लाइसेंस नंबर ११

लाइसेंस वी अंकित ३१ वार्ष

प्लेट नं० २०, राहगीर कलान्तर, राजस्थान





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CU 081873

(10)

विदित हो कि आवासीय खाली भूमि, क्षेत्रफल 402.5 वर्ग मीटर, सम्बन्धित खसरा नम्बर 493(पार्ट), स्थित ग्राम पसौण्डा परगना लोनी तहसील व जिला गाजियाबाद का प्रथम पक्ष गिफ्ट/दानकर्ता सत्ता प्राप्त स्वामी व अधिपति व संक्रमित भूमिधर है। उक्त भूमि आज दिन तक प्रथम पक्ष गिफ्ट/दानकर्ता की ओर से हर प्रकार के बंधक भार सरकारी देनदारी व अन्य देनदारी लोन आदि आदि से पूर्णतया मुक्त है। कहीं अन्य जगह आड़, रहन, बय, हिंबै, महायदाबय आदि आदि से ग्रस्त नहीं है। मिलकियत प्रथम पक्ष गिफ्ट/दानकर्ता में किसी प्रकार का कोई दोष व त्रुटि नहीं है, हर प्रकार के वाद विवाद से मुक्त है। अतः मुझ

11/11/2018
R.S.

23/1

23 AUG 2010

क्रम संख्या.....
 स्थाय काव्य करने का प्रयोजन.....
 स्थाय फ्रेता का नाम व पूरा पता.....
 स्थाय की घरराशि.....

रामा

राजकुमार गुप्ता स्थाय विक्रेता
 लाईसेन्स नम्बर 11
 लाईसेन्स की अवधि 31 दर्श
 ईच्छा नं 26, तहसील कम्पातुड, गोपीनाथ





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CHIEF TREASURY OFFICER

CU 077700

(11)

प्रथम पक्ष गिफ्ट/दानकर्ता ने अपनी खुशी व रजामन्दी, शुद्ध बुद्धि, स्वस्थ्य इन्द्रियों की दिशा में प्यार व स्नेहवश, बिना किसी दबाव व धमकाव के प्रभावित होते हुये उपरोक्त भूमि को मये तमामी हक्कूक मालकाना दाखली व खारजी हर किस्म मये कब्जा बिना किसी मुआवजे के द्वितीय पक्ष गिफ्ट/दानगृहिता अपने भाई को गिफ्ट/दान कर दी और बख्त दी और उपरोक्त भूमि पर द्वितीय पक्ष गिफ्ट/दानगृहिता का कब्जा मौके पर पूर्ण व वास्तविक रूप से करा दिया है। जिसके द्वितीय पक्ष गिफ्ट/दानगृहिता पूर्णतः मालिक बन गये है उनको सर्वथा अधिकार है कि उपरोक्त भूमि को जिस प्रकार चाहे बहसियत मालिकाना प्रयोग में

रामेश्वर
Ramеш्वर

५८ संख्या ४२

23 AUG 2018

.....**तिथि**
.....**कार्य करने का तरीका**

प्राचीन लोड करने का प्रयोजन

१०५ लाला गाजीन
१०६ लंबा का नाम २ लाला

दिल्ली कला का नाम व पूरा पता

२२०१/४

संस्कृत विद्या - १०२४

अनुज कमार गर्ग रामाभा विजय

लाईसेंस. नम्बर 32 डॉ. अमृत
लाईसेंस की अंकता 31 वार्ष
प्राप्ति 26

1962 in 26 districts across India





20/15/11
उत्तर प्रदेश

CU 077701

(12)

लावे बंदन निर्माण करे, रख्यां रहे दूसरों को रखे या बेचे, उपरोक्त भूमि से अब प्रथम पक्ष गिफ्ट/दानकर्ता के उत्तराधिकारियों का कोई सम्बन्ध किसी प्रकार का बाकी नहीं रहा है और ना कभी भविष्य में होगा। यह गिफ्ट/दान पत्र द्वितीय पक्ष गिफ्ट/दानगृहिता को भी स्वीकार है भविष्य में उपरोक्त गिफ्ट/दान पत्र के विषय में समस्त आपत्तियाँ असत्य व अमान्य होगी और समस्त आपत्तियों का उत्तरदायित्व प्रथम पक्ष गिफ्ट/दानकर्ता एवं प्रथम पक्ष गिफ्ट/दानकर्ता के उत्तराधिकारी पर होगा।

अतः यह गिफ्ट/दान पत्र लिख दिया है कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे इति !



11/11/14

23 AUG 2018

मेरे संकेत 03/02 तिथि
स्टाम्प लगवाने का प्रयोजन
स्टाम्प लगवाने का नाम व दूसरा पता मिलियन
मोबाइल नंबर 9876543210


अनुज कुमार गांग रसायन विक्रेता

स्टार इंडियन नेटवर्क 32 24103412


लकड़ी गांग प्रखण्ड 31 गांव
गोपनी नं 26 गोपनी गांव उत्तर प्रदेश



SITE PLAN OF OPEN LAND ON KH. NO.- 493 (PART) SITUATED IN
VILLAGE - PASONDA PARG.- LONI TEHSIL & DISTT. GHAZIABAD
(U.P)



TOTAL LAND AREA = 402.50 SQ. MT.



KEY PLAN



FIRST PARTY

— 11/1970

KHET OF - VIJAY KUMAR ETC.

OTHER LAND

SITE
KH. NO.- 493 (PART)

KHET OF - MANGAYRAM ETC.

MANOJ SHARMA
Architects Engineers, Valuers &
Int. De
Int. De
No. 54/95
ARC
CH. N
PH. : 2766111, MOB. : 9871654809
OMBIN

मानविक प्रदेश सं 6374/18
के साथ प्रस्तुत किया





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CU 077702

(13)

(प्रथम पक्ष / दानकर्ता)

(द्वितीय पक्ष / दानगृहिता)

गवाह-1

राजेश कुमार शर्मा
ज्ञानगढ़ गांव मुरैरा तालुक
शास्त्री नगरपालिका

गवाह-2

डॉ मनोज कुमार
मुरैरा तालुक
6. जानकी नगर

दिनांक 23-08-2018 ई०

मसौदा बुध प्रकाश शर्मा दस्तावेज लेखक,

नितिन. कुमार एडवोकेट, चैम्बर नम्बर-21,

तहसील कम्पाउन्ड, गाजियाबाद।

8/23/2018

पुष्टि विलेख 60

नम संख्या ८४१०२ तिथि 23 AUG 2018
सरकारी कार्य करने का प्रयोजन
लोकप्रिय कला का नाम व पूरा पता लिखें
रिकार्ड की धनराशि ५५८८/-



अनुज कुमार गग्न राष्ट्राच्य विक्रेता
टनाईरेस नम्बर 32 अ. ५०५४
लोकप्रिय की अंकि 31 भाग
मोड़ २६ लोकप्रिय कलाकार समिति

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 13791 के पृष्ठ 129 से 158 तक
क्रमांक 6374 पर दिनांक 23/08/2018 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

सुरेश घन्द्र मौर्य

उप निबंधक : सदर तृतीय

गाजियाबाद

23/08/2018

२३८०





6372




INDIA NON JUDICIAL
Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

सत्यमेव जयते

Certificate No. : IN-UP04962052062956Q
Certificate Issued Date : 23-Aug-2018 03:37 PM
Account Reference : SHCIL (FI)/ upshcil01/ GHAZIABAD/ UP-GZB
Unique Doc. Reference : SUBIN-UPUPSHCIL0105938904031193Q
Purchased by : VIJAY KUMAR
Description of Document : Article 33 Gift
Property Description : LAND IN PART OF KHASRA NO-493 VILLAGE PASONDA GZB
Consideration Price (Rs.) :
First Party : RAM NARESH RAWAT
Second Party : VIJAY KUMAR
Stamp Duty Paid By : VIJAY KUMAR
Stamp Duty Amount(Rs.) : 4,19,100
(Four Lakh Nineteen Thousand One Hundred only)



VERIFIED BY
Sub-Registrar-III
Ghaziabad

CHECKED BY
Sub-Registrar
Ghaziabad

Please write or type below this line.

Ramnath

11/08/2018

TQ 0001474364



Warning

"The contents of this certificate can be verified and authenticated world-wide by any members of the public at www.shcilestamp.com or at any Authorised collection center address displayed at www.shcilestamp.com free of cost."

"Any alteration to this certificate renders it invalid. Use of an altered certificate without all the security features could constitute a criminal offence"

"This document contains security features like coloured background with Lacey Geometric Flexible patterns, and Subtle logo images, Complex ornamental design borders, Anti-copy text, the appearance of micro printing, artificial watermarks and other Open and Close features."





CHIEF TREASURER
उत्तर प्रदेश (Uttar PRADESH)

CU 077907

(2)

दानपत्र / उपहार विलेख का संक्षिप्त विवरण

1. भूमि का प्रकार : आवासीय
2. वार्ड परगना : 0328
3. मौहल्ला/ग्राम : ग्राम पसौर्णडा
4. सम्पत्ति का विवरण(सम्पत्ति नं) : आवासीय खाली भूमि, सम्बन्धित
खसरा नम्बर 493 (पार्ट), रिथ्त ग्राम पसौर्णडा
परगना लोनी तहसील व जिला गाजियाबाद।

Ramji

11/10/1984

23 AUG 2018

85

स्टाम्प कार्य का तार्थ

स्टाम्प करने का प्रयोजन... शुल्क वाला नियमित

स्टाम्प प्रेस का नाम व पूरा नाम

स्टाम्प की धनराशि 500/-

सुमित बंसल स्टाम्प विक्रेता

लाइसेंस नंबर 351

पांडितरा की अवधि 31 मार्च


प्रतिलिपिकरण शुल्क नामितवाद

दान पत्र

प्रतिफल- 0 स्टाम्प शुल्क- 479100 बाजारी मूल्य- 6843000 पंजीकरण शुल्क- 20000 प्रतिलिपिकरण शुल्क- 80 योग : 20080

श्री विजय कुमार,
पुत्र श्री मानोराम
व्यवसाय : अन्य
निवासी: २/१७७ राजनगर गाजियाबाद

11/2018



ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 23/08/2018 एवं 04:40:16 PM बजे
निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

सुरेश सुनद्र मौर्य
उप निवंधक : सदर तृतीय
गाजियाबाद
23/08/2018

गाजियाबाद सदर तृतीय लिपिक
कनिष्ठ सहायक (निबंधन) - नियमित





उत्तर प्रदेश - UTTAR PRADESH

CU 077908

(3)

5. मापन की इकाई (हैक्टेयर / वर्गमीटर): वर्ग मीटर
6. सम्पत्ति का क्षेत्रफल : क्षेत्रफल 402.5 वर्ग मीटर
7. सड़क की स्थिति (परिशिष्ट के अनुसार): सड़क 12 मीटर चौड़ी
8. प्रतिफल की धनराशि:- शून्य

Ramul 7/1/2014

23 AUG 2018 पुष्टि विलेख 58.59

क्रम संख्या 86/85 लेखक द्वारा की गयी अनुमति करने का प्रयोजन
 स्टाप केता का नाम त पूरा पता छिपा पता
 स्टाप की इनाम १०० प्रतिशत लेखक द्वारा सुनिश्चय समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार
 उक्त

सुनिश्चित लंबाल लाभ लिंकेता

लाइसेंस नम्बर 351 रावत, पुत्र श्री मांगराम

लाइसेंस की अवधि 31 मार्च

निवासी: ५/१२५ बी राजनगर गाजियाबाद

व्यवसाय: अन्य

दान गृहीता: 1



श्री विजय कुमार, पुत्र श्री मांगराम

निवासी: २/१७७ राजनगर गाजियाबाद

व्यवसाय: अन्य ११८५



ने निष्पादन स्थीकार किया। जिनकी पहचान

पहचानकर्ता: 1

श्री राजेंद्र प्रसाद तिवारी, पुत्र श्री टी.एस. तिवारी

निवासी: २ जनता कोलोनी गाजियाबाद

व्यवसाय: अन्य

पहचानकर्ता: 2



श्री ओमपाल, पुत्र श्री चम्पत सिंह

निवासी: ६ गाँधी नगर गाजियाबाद

व्यवसाय: अन्य



राजस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

ने की। प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे

नियमानुसार लिए गए हैं।

टिप्पणी: गा वि प्रा के पत्र संख्या ३६४/सी है २०१८

दिनांक ०८.०८.२०१८ पर ए आई जो पृष्ठाकृत आदेश

संख्या ६३५ दिनांक १०.०८.२०१८ के बाजे में पक्षकारों

को अवगत कराया गया।

सुरेश चतुर्भाय

ठप निवंधक: सदर तृतीय

गाजियाबाद

गाजियाबाद सदर तृतीय लिपिक
 वाहिल सहायक (निवंधन) - नियमित

उत्तर

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

₹.5000

Rs.5000

पाँच हजार रुपये

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

2010

CU 077909

(4)

सीमा खसरा नम्बर 493 (पार्ट)

पूरब — सड़क 12 मीटर चौड़ी

पश्चिम — दीगर भूमि

उत्तर — खेत मांगेराम आदि

दक्षिण — खेत विजय कुमार आदि

Ramul

11/10/2014



23 Aug 2018

क्रम संख्या ८२/८५ विक्रय का तारीख
स्टाम्प करने का प्रयोजन
स्टाम्प केता का नाम व पूरा पता विक्रेता
स्टाम्प की दरारी ५००/-

सुमित बंसल स्टाम्प विक्रेता

लाईसेंस नंबर 351

जाइलेरी की अवधि 31 मार्च

प्रधानमंत्री राजस्वालय, राजिकापुरा





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(5)

CU 082061

दानकर्ता का विवरण:-

श्री रामनरेश रावत पुत्र श्री मॉगेराम निवासी 5/126बी, राजनगर, गाजियाबाद
(PAN. AAGPN8622F)

दानप्रहिता का विवरण:-

श्री विजय कुमार पुत्र श्री मॉगेराम निवासी 2/177, राजनगर, गाजियाबाद
(PAN. AAZPK0075G)

Ravet

→ 11/10/2018



मा. नम्बर २५ ता. ३ AUG 2018

भारतीय कार्य संरचना का प्रयोगन

भारतीय कार्य संरचना का नाम ए प्रयोगन

स्वतंत्र रक्षणा की धरण

Rohit Kumar
रोहित कुमार स्टाम्प विक्रेता

स्टाम्प लेन्स नम्बर 295

स्टाम्प की अवधि 31 मार्च

स्टाम्पर क्र. १०, वर्तमान वर्षात् का नाम अवधि





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(6)

CU 082062

गिफ्ट डीड की मालियत 68,43,000/-

स्टाम्प ड्यूटी उत्तर प्रदेश सरकार संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन अनुभाग-5, अधिसूचना संख्या-5-2756/11-2008-500 (165)/2007 दिनांक 30-06-2008 ई0 के अनुसार अदा किया जा रहा है।

स्टाम्प अंकन 4,79,100/- रुपये

Ramchand

11/06/08

मा. सखा ५०९५

23 AUG 2018

संग्रह कर करने का प्रयोग

स्टाम्प के तो का नाम या पूरा नाम

स्टाम्प की धनराशि

Rohit, Kuz
रोहताश कुमार स्टाम्प शिक्षक
लाईसेंस नम्बर 295
लाईसेंस की अवधि 31 अगस्त
शिक्षक नं 70, लाईसेंस नम्बर 295





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(7)

CU 082063

रिफ्ट की जाने वाली सम्पत्ति का विवरण— आवासीय खाली भूमि, क्षेत्रफल 402.5 वर्ग मीटर, स्थित ग्राम पसौण्डा परगना लोनी तहसील व जिला गाजियाबाद। कलैकटर द्वारा भूमि की निर्धारित दर 17,000/- रुपये प्रति वर्ग मीटर है। उपरोक्त भवन मुख्य मार्ग/राष्ट्रीय राजमार्ग के मध्य बिन्दु से 200 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है।

Ramchand

मिशन

क्रम संख्या १६१५ तात्पुर

स्टाम्प छाया कारने का प्रयोजन

स्टाम्प की तात्त्विक नाम एवं पूरा पता

स्टाम्प की धनराशि

23 AUG 2019

Rohit Kumar
रोहित कुमार स्टाम्प विक्रेता

लाईसेंस नम्बर 295

लाईसेंस की अवधि 31 अग्स्ट

विक्रेता नं 10, लक्ष्मीनाथ नगर, गोपनगढ़





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CU 081865

(8)

सीमा खसरा नम्बर 493 (पार्ट)

पूरब - सड़क 12 मीटर चौड़ी

पश्चिम - दीगर भूमि

उत्तर - खेत माँगेराम आदि

दक्षिण - खेत विजय कुमार आदि

Ramchand

11/01/2008

123 AUG 2018

क्रम संख्या ६६

स्टाम्प कर करने का प्रयोजन

स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता

स्टाम्प की वर्गीकरण

राजकुमार गुप्ता स्टाम्प विक्रेता

लाईसेंस नंबर 11

लाईसेंस की अवधि 31 मार्च

पैमाने नंबर २५, नहरील गम्फाउल, भाजियालाल

Sonagpuri

६८ नं० २१४

३० अ०





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CU 081866

(9)

हम कि श्री रामनरेश रावत पुत्र श्री मॉगेराम निवासी 5/126बी, राजनगर, गाजियाबाद प्रथम पक्ष गिफ्ट/दानकर्ता।

इस दान पत्र में गिफ्ट/दानकर्ता के समस्त उत्तराधिकारी एवं वैधानिक व न्यायाधिक प्रतिनिधिगण समझे जावेंगे।

श्री विजय कुमार पुत्र श्री मॉगेराम निवासी 2/177, राजनगर, गाजियाबाद द्वितीय पक्ष गिफ्ट/दानगृहिता।

Ramnath

11/04/2010

23 AUG 2010

क्रम संख्या 17/46

स्वास्थ्य क्रप करने का प्रयोजन

लकाय किशो का नाम व पूरा पता

स्वास्थ्य की स्थानीय

राजकुमार गुप्ता स्वास्थ्य विज्ञेता

साइर्स नम्बर 11

लाइंग वी अपार्टमेंट 31 नंबर

प्लॉट नं 26, बिल्डिंग कल्पना इन्डस्ट्रीज, गोपन्दार

सम्मान





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CU 081867

(10)

विदित हो कि आवासीय खाली भूमि, क्षेत्रफल 402.5 वर्ग मीटर, सम्बन्धित खसरा नम्बर 493(पाटी), स्थित ग्राम पसौण्डा परगना लोनी तहसील व जिला गाजियाबाद का प्रथम पक्ष गिफ्ट/दानकर्ता सत्ता प्राप्त स्वामी व अधिपति व संक्रणमीय भूमिधर है। उक्त भूमि आज दिन तक प्रथम पक्ष गिफ्ट/दानकर्ता की ओर से हर प्रकार के बंधक भार सरकारी देनदारी व अन्य देनदारी लोन आदि आदि से पूर्णतया मुक्त है। कहीं अन्य जगह आँड़, रहन, बय, हिंडै, महायदाबय आदि आदि से ग्रस्त नहीं है। मिलकियत प्रथम पक्ष गिफ्ट/दानकर्ता में किसी प्रकार का कोई दोष व त्रुटि नहीं है, हर प्रकार के वाद विवाद से मुक्त है। अतः मुझ

Ramul

11/11/2010

18/46

16. 11. 1956

कृष्ण संग्रहा
स्टॉच क्या करने का प्रयोग
हाथ की लेंगा का नाम व पूरा पता
स्टॉच की भारतीय

10/11/56

राजकुमार गुला स्टॉच विक्रेता

लाईंस नंबर 11

लाईंस की अवधि 31 मार्च

हैम्पर नं 26, तहतील कम्पाउन्ड, भारताबाद.





उत्तर प्रदेश/UTTAR PRADESH

CU 077694

(11)

प्रथम पक्ष गिफ्ट/दानकर्ता ने अपनी खुशी व रजामन्दी, शुद्ध बुद्धि, स्वस्थ्य इन्द्रियों की दिशा में प्यार व स्नेहवश, बिना किसी दबाव व धमकाव के प्रभावित होते हुये उपरोक्त भूमि को मये तमामी हक्कूक मालकाना दाखली व खारजी हर किस्म मये कब्जा बिना किसी मुआवजे के द्वितीय पक्ष गिफ्ट/दानगृहिता अपने भाई को गिफ्ट/दान कर दी और बख्श दी और उपरोक्त भूमि पर द्वितीय पक्ष गिफ्ट/दानगृहिता का कब्जा मौके पर पूर्ण व वार्तविक रूप से करा दिया है। जिसके द्वितीय पक्ष गिफ्ट/दानगृहिता पूर्णतः मालिक बन गये हैं उनको सर्वथा अधिकार है कि उपरोक्त भूमि को जिस प्रकार चाहे बहैसियत मालिकाना प्रयोग में

Ramchandra

11/10/2014

23 AUG 2018

मध्य सख्त 26

तिथि-

दाम्पत्ति करने का प्रयोजन

दाम्पत्ति का नाम व पूरा पता

२०१५

दाम्पत्ति की धनराशि

कित्तूर श. निवाल ८

अनुज कुमार गांग रटाम्प लिंगम्

लाइसेंस नम्बर 32 श्रीमद्भूमि

दाम्पत्ति की आय ३१ लाख

दाम्पत्ति का नाम रटाम्प लिंगम्



भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

₹.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA

CHIEF TREASURER

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CU 077695

(12)

लावे, भवन निर्माण करे, स्वयं रहे दूसरों को रखे या बेचे, उपरोक्त भूमि से अब प्रथम पक्ष गिफ्ट/दानकर्ता के उत्तराधिकारियों का कोई सम्बन्ध किसी प्रकार का बाकी नहीं रहा है और ना कभी भविष्य में होगा। यह गिफ्ट/दान पत्र द्वितीय पक्ष गिफ्ट/दानगृहिता को भी स्वीकार है भविष्य में उपरोक्त गिफ्ट/दान पत्र के विषय में समर्त आपत्तियाँ असत्य व अमान्य होगी और समर्त आपत्तियों का उत्तराधित्व प्रथम पक्ष गिफ्ट/दानकर्ता एवं प्रथम पक्ष गिफ्ट/दानकर्ता के उत्तराधिकारी पर होगा।

अतः यह गिफ्ट/दान पत्र लिख दिया है कि प्रभाण रहे और समय पर काम आवे इति !

Ramdev

1/8/2013




क्रम संख्या २२६ 23 AUG 2018
स्टाम्प करने का प्रयोजन
स्टाम्प कोता का नाम व पूरा पता नियमित
स्टाम्प की धनराशि ५००/-

अनुज कुमार गग्न रसायन विद्येश
लाईसेंस नम्बर ३२३१५००५४८
नाइट्रोजन की अवधि ३१ जन
मुद्रा २५ रुपये विद्युत विभाग




SITE PLAN OF OPEN LAND ON KH. NO.- 493 (PART) SITUATED IN
VILLAGE - PASONDA PARG.- LONI TEHSIL & DISTT. GHAZIABAD
(U.P)



TOTAL LAND AREA = 402.50 SQ. MT.

KH . NO - 462 (PART)



FIRST PARTY

Ramay

Agreement

Jy
MANOJ SHARMA

Architects, Engineers, Valuers &

Int. F. No. 54/95

ARC COMBINE

CH. I. NIP. GZB,

Ph. 0120 6116002





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CU 077696

(13)

Ramdev

(प्रथम पक्ष / दानकर्ता)

रामदेव

(द्वितीय पक्ष / दानगृहिता)

गवाह-1

बाजेतुम्हारे तिवाली लालगांव शिवाजी
नगर जनसंकलनी अधिकारी अधिकारी विवाही
प्राप्ति नामांकन

गवाह-2

रामदेव
रामदेव
रामदेव
रामदेव

दिनांक 23-08-2018 ई०

मसौदा बुध प्रकाश शर्मा दस्तावेज लेखक,

नितिन कुमार एडवोकेट, चैम्बर नम्बर-21,

पालशील कम्पालखल गाजियाबाद।

8/23/2018

१५ संख्या २४७६

23 AUG 2018

पुष्टि विलेख 60

स्टाम्प करने का प्रयोजन तिथे

स्टाम्प मेंता का नाम व पूरा पता

स्टाम्प की धनराशि ५०८५

अनुज कुमार गग स्टाम्प विक्रीकरण

लाइसेंस नम्बर ३२ ३०४०३५८

लाइसेंस जी अधिक ३१ वर्ष

गोपनीय २६ अक्टूबर २०१८ तक

स्टाम्प की धनराशि ५०८५

बही संख्या १ जिल्द संख्या 13791 के पृष्ठ ६९ से ९८ तक
क्रमांक 6372 पर दिनांक 23/08/2018 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

सुरेश चन्द्र माध्य

उप निबंधक : सदर तृतीय

गाजियाबाद

23/08/2018

२३८०

२०१८११२८०१०८१६५
५१०११८



यू.पी.एस.टी. U.P. F.C. द्वारा रखा गया है। रुपये 200, S.

20-2-2001



विक्रय पत्र अंकन 25,200/-रुपये का /-

स्टाम्प 2680/-रुपये का :-

विक्रय भूमि का विवरण:- मवाजी एक बीघा आठ विस्ता पुख्ता

स्थित ग्राम पसौन्डा परगना लौनी वै गोल व
जिला गाजियाबाद ।

विक्रय भूमि की कितम :- तेवटा दोयम खाकी जितकी सरकारों निर्धारित
दर 9515/-रुपये प्रति बीघा पुख्ता से मालियत 13321/-रुपये होती हैं,
बाजारी कीमत पर स्टाम्प डूबती दी गयी हैं ।

मैं कि श्री मती राजदुलारी पुत्री श्री माने राम पत्नी श्री यापाल निवा
ग्राम भीकन पुर प० जलालाबादतहसील व जिला गाजियाबाद को हूँ ।

विदित हो कि मवाजी एक बीघा आठ विस्ता पुख्ता
भूमि सम्बंधित नम्बर पिंजरा खसरा सहराई-493 रकबई चौदह विस्ता
व 495 रकबई चौदह विस्ता योग नम्बरान-2 रकबई एक बी ग आठ
विस्ता पुख्ता लगानी 8.40 पैसे सालाना स्थित ग्राम पसौन्डा परगना

932 2000

गुरुभानुरेत्तिर्यू
१८ दिसं ६२

संक्षिप्त इतिहास

ឆ្នាំ ២៥២០៦

राज. पूलक..... अदितिप्रिय पूल..... योग 25/- प्रब्ल दर्शन दर्शन
251-00 १.८ 251-00 १.००

कूटी गोड़ी २१५ दुल्हनी १० अशापाल ४९
पुड़ीकी गोड़ी २१५ दुल्हनी ४८ काप
मातारी मिकन बुर
१ कार्यालय दबरियां १ २

2-7-05

Paula

तेल पत्र का सम्पादन एवं इसमें लिखे
जाए वद्दल मु० २५.५.४४
‘मैं लिखते हैं पेंड्राम

“ श्रीमत राजकुमारी ने कहा रहा,

Ray ~~1972~~

१९७५, नवंबर २५, १९७५।



-2-

लौनी तहसील व जिला गजियाबाद को मुकिरा सत्ता प्राप्त स्वामिनी व अधिपति व भूमिधर हैं, जो आज दिन तक मेरी और ते हर प्रकार के बंधक भार संरकारी देनदारी आदि ते मुक्त हैं, कही अन्य जगह आड, रहन, बय, हिंडै, गहायदाबय आदि में ग्रस्त नही हैं, मिलकियत मुझ विक्रेत्री में कोई दोष व कुटि नही हैं, विक्रय करने का मुझे पूर्ण अधिकार है। अतः मैंने अपनो छुशी व रजामन्दी ते उक्त भूमि को मधे तमामी द्वूक मालकान दाखली व खारजी हर किसम बमधे कबजा आदि आदि को आज की तारीख में बदले अंकन 25,200/- यौ पच्चीस हजार दो सौ रुपयौ आये जिसके 12600/-रुपये होते हैं मैं नाथ श्री राम नरेश व विजय कुमार व सुदनकुमार व पुष्पेन्द्र पुत्रगण श्री मां राम निवासी ग्राम तिकन्द्र पुर परगना लौनी तहसील व जिला गजियाबाद के बय कर्तव्य कर दी और बेच दी और कुल धनराशी क्रेतागण से पेशगी वसूल पा ली। अब इकरार यह हैं



-3-

कि विक्रय भूमि की मिलकियत व उसके मूल्यपन् तथा किसी अंग से मेरा

व मेरे वारसान का कोई सम्बंध बाकी नहीं रहा है न कभी होगा।

कबजा मौके पर खरीदारान का वास्तविक स्थ ते करा दिया है, जिसके

वो पूर्णतः स्वामी बन गये हैं, उनको सर्वथा अधिकार हैं कि जिस प्रकार

याहे बहैतियत मालकाना प्रयोग में लावें। राजपत्रों में क्रेतागण का नाम



-4-

दर्ज करा द्वांगी। वरना वो स्वयं दर्ज करालें। यदि मेरे अनाधिकार हैं

या मेरे वारसान की दावेदारी आदि से विक्रिय भूमि बरीदारान के

कबजे से निकल जावेबी तो क्रेतागण को अधिकार होगा कि कबजे से निकल

जाने वाली भूमि की धनराशो को मध्ये सूद कानुनी न्यायालय द्वारा मेरी

व मेरे वारसान की छल अचल सम्पादित से जिस प्रकार चाहे वूसुल करलें।

30 RS.



-5-

बाजारी कीमत यही हैं आत पास भाव 5000/-रुपये प्रति बीघा बाम हैं। अतः यह विक्रय पत्र लिख दिया कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवें इति।

2
१०६ १९६८

दिनांक 2.7.85 ई० मतदादा राकेशदत्त कोशिक वसीके नवीन गाँवियाबाट
टाइपकिया

धन्यवाम-शर्मा

— २४ राजस्थान व. प. त. न. सरकार का ।

७३८ ३०/—

१ जुलाई १९८५

०१.२.४५

बही नैं । जिल ३५६८ के पाण २५.१. में नम्बर ४९९५
पा आज दिन ६/७/८५ ज दो बागः

मुख्य सचिव न. दूर



१८६०
३१७१०६

८

२०